

**मांग संख्या 64**  
**मुख्य शीर्ष 2014**

**मद क्रमांक 1 से 5**

विशेष न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों के वेतन भत्ते, यात्रा भत्ता, कार्यालय व्यय एवं सामग्री और पूर्तियां मद में ₹ 24.42 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 24,42,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मुख्य शीर्ष 2202**

**मद क्रमांक 6 से 9**

50 सीटर नवीन प्री.मै. अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास सरिया, जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ हेतु ₹ 20.00 लाख का व्यय संभावित है। यह व्यय विभागीय बचत से किया जाएगा। पदों का विवरण निम्नानुसार है:-

| क्र. | पदनाम             | वेतन मैट्रिक्स लेवल | पद संख्या |
|------|-------------------|---------------------|-----------|
| 1.   | छात्रावास अधीक्षक | लेवल-6              | 01        |
| 2.   | चतुर्थ श्रेणी     | आकस्मिकता स्थापना   | 03        |
| 3.   | पूर्णकालिन स्वीपर | कलेक्टर दर          | 01        |
| योग  |                   |                     | 05        |

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 400 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 10**

नवीन छात्रावास अंतर्गत छात्र भोजन सहाय योजना हेतु ₹ 5.00 लाख का व्यय संभावित है। यह व्यय विभागीय बचत से किया जाएगा।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 11**

- राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) योजनान्तर्गत आकस्मिकता निधि से ₹ 100 का प्रतीक अग्रिम स्वीकृत किया गया है।
- PM-USHA योजनान्तर्गत आकस्मिकता निधि से ₹ 100 का प्रतीक अग्रिम स्वीकृत किया गया है।

अतः उक्त प्रयोजनों हेतु आकस्मिकता निधि से लिये गये अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु ₹ 200 का प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मुख्य शीर्ष 2210**

**मद क्रमांक 12 से 13**

केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन हेतु ₹ 375.03 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 3,75,03,000 अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मुख्य शीर्ष 2235**

**मद क्रमांक 14 से 15**

आंगनवाड़ी केन्द्रों का उन्नयन तथा ईसीसीई घटक हेतु राशि ₹ 350.00 लाख का व्यय संभावित है। यह व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ₹ 200 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 16 से 18**

आंगनवाड़ी सेवायें (सामान्य) योजनान्तर्गत विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार, सम्मेलन, तथा मेला उत्सव प्रदर्शनी मद अंतर्गत राशि ₹ 60.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ₹ 60,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 19 से 27**

महतारी वंदन योजना के क्रियान्वयन हेतु राशि ₹ 58800.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ₹ 588,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 28 से 30**

महिला जागृति शिविर एवं दिशा दर्शन योजनांतर्गत राशि ₹ 60.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ₹ 60,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 31**

मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना हेतु राशि ₹ 500.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ₹ 5,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मुख्यशीर्ष 2406**

**मद क्रमांक 32 से 33**

बिगड़े वनो के सुधार योजनांतर्गत वानिकी कार्य हेतु मजदूरी, सामग्री और पूर्तियां अंतर्गत ₹220.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹2,20,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 34 से 35**

संयुक्त वन प्रबंधन का सुदृढीकरण एवं विकास योजना अंतर्गत देवगुड़ियों के निर्माण, उन्नयन एवं संरक्षण हेतु सामग्री एवं पूर्तियां एवं लघु निर्माण कार्य मद अंतर्गत ₹100.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मुख्य शीर्ष 2408**

**मद क्रमांक 36**

नागरिक आपूर्ति निगम को खाद्यान्न उपार्जन में हुई हानि की प्रतिपूर्ति योजना अंतर्गत राशि ₹ 1044.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 10,44,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मुख्य शीर्ष 2425**

**मद क्रमांक 37 एवं 38**

डिजिटलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एग्रीकल्चर को-ऑपरेटिव्ह सोसाइटीज हेतु ₹ 85.28 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 85,28,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मुख्य शीर्ष 2801**

**मद क्रमांक 39**

विद्युत कम्पनियों को सहायता योजना अंतर्गत 3000.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु 30,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मुख्य शीर्ष 2851**

**मद क्रमांक 40**

औद्योगिक इकाईयों को ब्याज अनुदान हेतु राशि ₹200.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹2,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।